एस. के. झा कमोड्रे

बनाम

केरल राज्य और एक अन्य

(आपराधिक अपील सं. 1017/2010)

11 जनवरी, 2011

[हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली के.आर प्रसाद, जे. जे.]

आपराधिक न्यायालय और कोर्ट मार्शल (क्षेत्राधिकार का समायोजन) नियम, 1978: नियम 3 आर. डब्ल्यू. धारा 475, अपराध प्रक्रिया संहिता.-नौसेना अधिकारी-अभियुक्त को धारा 143,147,148 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। 452, 307, 326, 427 आर. डब्ल्यू. एस. 149, आई. पी. सी.-न्यायिक हिरासत में भेजा गया-नौसेना इकाई (जिससे आरोपी संबंधित था) के कमांडिंग अधिकारी द्वारा नौसेना अधिनियम, 1957 के तहत मुकदमे के लिए आरोपी को सौंपने के लिए आवेदन-आयोजितः इस स्तर पर विचारणीय नहीं है क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई थी और आरोप पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था-यह विकल्प कि क्या आरोपी पर आपराधिक अदालत या कोर्ट मार्शल के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है, पुलिस द्वारा जांच पूरी करने और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है और नियम के प्रावधानों को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां पुलिस ने केवल उन कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू की है जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून-नौसेना अधिनियम, 1957 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 475 के अधीन हैं।

सोम दत्त दत्ता बनाम भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. (1969) एस. सी. 414, अनुसरण किया गया।

मामला कानून संदर्भः

ए. आई. आर. (1969) एस. सी. 414 का अनुसरण किया गया। पैरा 2

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1017/2010

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 2008 का क्रिमीनल एम. सी. 212 के निर्णय और आदेश दिनांकित 16.01.2008 से।

अपीलार्थी के लिए पी. पी. मल्होत्रा, ए. एस. जी., राजीव नंदा, एस. के. सहजपाल, अनिल कटियार (बी. कृष्ण प्रसाद के लिए)।

उत्तरदाता के लिए जी. प्रकाश

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया-

आदेश पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना गया।

यह हमारे लिए स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का निर्णय सोम दत्त दत्ता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप है जो आकाशवाणी (1969) एस. सी. 414 में रिपोर्ट किया गया है। संविधान पीठ ने आपराधिक न्यायालयों और कोर्ट मार्शल (क्षेत्राधिकार का समायोजन) नियम 1978 के नियम 3 का अर्थ लगाते हुए, जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 549 के साथ पढ़ा जाता है (अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 475) यह अभिनिर्धारित किया कि क्या अभियुक्त पर आपराधिक न्यायालय के समक्ष या कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, इस विकल्प का उपयोग पुलिस द्वारा जांच पूरी करने और आरोप

पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही किया जा सकता है और नियम के प्रावधानों को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां पुलिस ने केवल सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून के अधीन एक कार्मिक के खिलाफ जांच शुरू की थी। वर्तमान मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि तीन नौसेना अधिकारियों को 10 जनवरी, 2008 को आई. पी. सी. की धारा 143, 147, 148, 452, 307, 326, 427 के साथ धारा 149 और कुछ अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 11 जनवरी, 2008 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 जनवरी, 2008 को नौसेना इकाई के कमांडिंग अधिकारी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें वे नौसेना अधिनियम, 1957 के तहत मुकदमे के लिए अभियुक्तों को सौंपने के लिए थे। इस आवेदन को मजिस्ट्रेट द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि आवेदन पर विचार का चरण केवल पुलिस जांच के पूरा होने पर ही उत्पन्न होगा जो अभी भी प्रारंभिक चरण में है और कमांडिंग ऑफिसर का अनुरोध समय से पहले था। मजिस्ट्रेट के आदेश को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी। इसे भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया है। हम तथ्यों से देखते हैं कि संविधान पीठ की टिप्पणियां यहां के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होती हैं। जिस स्तर पर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा विकल्प का उपयोग किया जा सकता है (कि क्या आरोपी पर कोर्ट मार्शल या आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए) इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है और अभी तक आरोप पत्र जमा नहीं किया गया है।

तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

डी. जी. अपील खारिज

यह अनुवाद ए आई टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।